न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना

बइजलास–पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 18 / 2020

प्रार्थीनी :–

श्रीमति मोहनीदेवी पुत्री स्व. फुआजी पत्नी जैसाजी जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. गेबाराम पुत्र स्व. फुआजी जाति पुरोहित
2. हडमताराम उर्फ हिम्मतसिह पुत्र स्व. फुआजी उर्फ फरसुसिह जाति राजपुरोहित
3. भटाराम पुत्र मांगाराम जाति पुरोहित
4. जोधाराम पुत्र मांगाराम जाति राजपुरोहित निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बाडमेर राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 रा.का.अ. सपठित धारा आदेश 39 नियम 1,2 दी.प्र.सं.

हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा

उपस्थितः– 1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2 श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 02 ता 04

–: आदेश :–

दिनांक – 27-09-2021

प्रार्थीनी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया गया प्रार्थना पत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 01 ता 04 की पुश्तैनी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम पंऊ में खसरा संख्या 51 रकबा 230.02 बीघा वर्तमान समरूपी रकबा 37.2472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 रकबा 00.05 बीघा वर्तमान समरूपी रकबा 0.0405 हैक्टेयर, भूमि आई हुई है प्राथीनई व विप्रार्थी संख्या 01 ता 04 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.07.30 18:37:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीनी का हिस्सा 1/4 एवं विप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/4, विप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/4, विप्रार्थी संख्या 3 ता 4 का हिस्सा 1/4 माफिक सजारा के अनुसार आता है। पुश्तैनी की वादग्रस्त कृषि

भूमि में प्रार्थीनी का आये हक हिस्सा के अनुसार मौका पर इसी कदर प्रार्थी व विप्रार्थीगण मौका पर काबिज काश्त है । प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 4 के संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती होने व प्रार्थीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज नही होने से प्रार्थीनी को भूमि सुधार हेतु बैंक से ऋण लेने एवं अपने अपने जोत भूमियों के सुधार करने मे कई प्रकार कानूनी परेशानिया आती है विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का मौका कब्जा काश्त अलग है अपने हक व हिस्सेदारी भूमि पर विप्रार्थीगण हमेशा प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में हमेशा दखल करते रहे है ऐसा करने को उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है एवं विप्रार्थीगण ने प्रार्थीनी को नुकसान पहुचाने के इरादे से जानबूझ कर विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त को अन्यत्र हस्तान्तरित करने की धमकिया देते रहते है यदि विप्रार्थीगण की उक्त पैतृक भूमि जबरन अजनबी क्रेता को बेचान प्रार्थीनी को बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में संभव नहीं है। जिससे यह आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जाना आवश्यक होने से पेश किया गया है। प्रार्थीनी द्वारा दावा बाबत अधिकार घोषणा, निरस्त करने फौतेदगी नामातरकरण व स्थायी निषेघाज्ञा का न्यायालय श्री में पेश किया गया है।

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2020 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण सख्या 2 ता 4 की ओर वकील श्री कैलाशपुरी उपस्थित हुए तथा प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र के सभी पदों को अस्वीकार निवेदन किया कि प्रार्थीनी वादग्रस्त आराजी पर उनका कोई कब्जा है तथा न ही प्रार्थीनी स्व. फुआ की पुत्री होना स्वीकार ही किया है वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी ने अपना कब्जा काश्त होना बताया जबकि न तो तो उक्त खसरान में प्रार्थीनी का कभी कब्जा काश्त रहा न ही रेकर्डेड खातेदार है तथा न ही उक्त खसरान सम्पूर्ण की भूमि प्रार्थीनी के हक में दी गई ऐसा कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज ही पेश की है। विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 4 उनके हिस्से की उक्त वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्तकार है तथा प्रार्थीनी का राजस्व रेकर्ड में कोई नाम इन्द्राज नहीं है अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा अनुतोष एक रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध जारी नहीं किया जा सकता है इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों में प्रार्थीनी ने जिस भूमि के खातेदारी अधिकार घोषणा व अनुतोष का दावा पेश किया है ऐसा अनुतोष यदि पूर्व में कोई रजिस्टर्ड बंटवाडा हो रखा हो तथा सह खातेदरान ने प्रत्येक खसरा मे से एक दूसरे के पक्ष में अपने हक त्याग कर दिये हो तो ही संभव होता है अन्यथा नहीं अर्थात प्रार्थीनी का वाद पत्र प्रथम दृष्टया काबिल डिक्री के ही नही है तो दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी करना कतई विधि

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.07.30 18:37:20 IST
Reason: SelfAttested

सम्मत नहीं है तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति जैसे विचारणीय विधिक बिन्दू भी विप्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान है न कि प्रार्थीनी के पक्ष में चूंकि विप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है व मौके पर काबिज काश्त हैं। अत प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र मय खर्चो खारिज फरमाया जावे।

दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अब इस न्यायालय को तय यह करना है कि **क्या प्रार्थीनी विरूद्ध विप्रार्थीगण निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?** पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में विप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। मूल वाद में वादीनी/प्रार्थीनी किसी हिस्से की अधिकारिणी घोषित होती है तो **विप्रार्थीगण द्वारा दौराने दावा किया गया अन्तरण धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम** के प्रावधानो से प्रभाव रखेगा। आज के दिन विप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार के तौर पर जमाबंदी में दर्ज है तथा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज सबूत पेश नही है जिससे यह साबित हो कि वादीनी फुआराम की पुत्री हो साथ ही विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी को फुआराम की संतान होने से भी इन्कार किया है जो सभी तथ्य दरम्यान् विचारण न्यायालय साक्ष्य सबूत के जरिये तय किये जाने है पत्रवली पर पेश साक्ष्य सबूत से प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी के पक्ष में सुस्पष्ट रूप से साबित नही होने एवं विप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टियां मामला सुविधा का सन्तुलन व अपरणीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थीनी के पक्ष में विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। जिससे इस स्तर पर उपर्युक्तानुसार इस प्रार्थना पत्र मे अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनो की बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में होना नहीं पाये जाने से प्रार्थीनी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है। लिहाजा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किंया जाता है तथा पूर्व मे जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एतद्द्वारा निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। खर्चो पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.07.30 18:37:20 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

आदेश आज दिनांक 27-09-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना